संचिका संख्या : 5788/4/32/2021

दिनांक : 28.12.2021

आवेदक के द्वारा यह कहते हुए दिनांक 25.08.2021 को दो बजे दिन में सब्जी का ठेला नगरपालिका चौक के तरफ से थाना चौक आ रहा था इस बीच में **Traffic Duty** वाले पुलिस कर्मी श्री प्रभात रंजन आ गये। मुझ से पैसा मांगने लगे उसका विरोध करने पर उसे लाठी से से बुरी तरह मारापीटा गया और ठेला पलट दिया गया तथा झूठा आरोप लगाकार थाना ले जाकर हाजत में बंद कर दिया गया । उसी दौरान वार्ड पार्षद के पति उक्त पुलिस द्वारा बुलाया गया और चार हजार रुपये की राशि उक्त पुलिस कर्मी को दिया तब उसे हाजत से निकाला गया । यह भी कहा गया है कि पार्षद के पति के घर पर गया तो वहां यातायात पुलिस तथा अन्य पुलिस कर्मी मौजूद थे। जिसके द्वारा एक सादे कागज पर जबरदस्ती दस्तख्त करवा लिया गया और झूठा आरोप लगाकर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। आवेदक के द्वारा उपरोक्त कथन के आलोक में जांच का अनुरोध करते हुए यह आवेदन दाखिल किया गया है।

आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में इस आवेदन को राज्य आयोग के **Investigation Division** को भेजते हुए आवेदक तथा आवेदक को साक्ष्य देने का मौका देते हुए अगर उनका आरोप प्रथम दृष्टया सही है तो आरोपी पुलिस कर्मी के अपनी पक्ष रखने का मौका देते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि पुलिस अधीक्षक से प्राप्त जांच प्रतिवेदन थाना दैनिकी के अवलोकन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा जांचोपरांत जांच प्रतिवेदन तथा परिवादी को तथा और सिपाही प्रभात रंजन को अपनी बाते कहने का मौका देते हुए जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि पुलिस अधीक्षक ने जांच के क्रम में आवेदक के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन कर ठेला विपरीत तरफ से लाये जाने और रोकने पर धक्का–मुक्की किये जाने और बटखरा चलाकर उनके उपर मारने की बात सिपाही प्रभात रंजन द्वारा किया जाना प्रतिवेदित किया गया है। प्रभात रंजन द्वारा यह भी बताया गया है कि भागने के प्रयास में ठेला पलट गया इन्होंने अपना इलाज कराकर

घटना के संबंध में थाना में आवेदन दिया। जिसके आधार पर नगर थाना कांड संख्या–465/21, अंकित किया गया और अनुसंधानोपरांत आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से यह भी प्रतीत होता है कि घटना के विडियो वायरल होने की सूचना पर प्रभारी थाना अध्यक्ष यातायात थाना को अविलंब जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। प्रतिनियुक्त सिपाही प्रभात रंजन को डियुटी से हटाकर पुलिस केन्द्र वापस करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई अतिरिक्त अनुमंडल पुलिस अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया और उनके द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन संलग्न किया गया है। यह भी प्रतीत होता है कि थाना दैनिकी में दिनांक 25.08.2021 के घटना के संबंध में कोई भी प्रविष्टि अंकित नहीं है। जांच प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि थाना दिनांक 26.08.2021 के थाना दैनिकी के प्रविष्टि संख्या–895 समय 22:00 बजे सिपाही प्रभात रंजन के लिखित आवेदन के आधार पर नगर थाना कांड संख्या– 465/21 दर्ज होने का उल्लेख है।

जांच प्रतिवेदन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जांच प्रतिवेदन का भी उल्लेख है। जिसके द्वारा यह कहा गया है कि सिपाही प्रभात रंजन के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है।

जांच प्रतिवेदन से यह भी प्रतीत होता है कि परिवादी ने **Investigation Division** के समझ दिये गये बयान आवेदन में दिये गये तथ्यों का समर्थन किया है और यह भी कहा है कि घटना से संबंधित विडियो वायरल हुआ था जो किसी पत्रकार के द्वारा बनाया गया था। तो उन्हें कई केसों में फँसाकर जिन्दगी बर्बाद कर देने की धमकी दी गई। **Investigation Division** के समक्ष आवेदक के द्वारा घटना के सी.डी भी उपलब्ध कराई गई है। प्रभात रंजन के चोट के संबंध में पृच्छा करने पर आवेदक ने भी बयान में कहा कि सिपाही प्रभात रंजन जिस प्लास्टिक के टेबुल से मार रहे थे वह मुर जाने के कारण स्वयं उन्हें चोट लगी है। आवेदक के पिता ने भी **Investigation Division** के समक्ष दिये गये बयान में आवेदक के बयान तथा आवेदन में लिखे तथ्यों का समर्थन किया है।

जांच समिति के समक्ष सिपाही प्रभात रंजन भी उपस्थित हुए अपनी ईलाज कराये जाने से संबंधित ईलाज के पुर्जा तथा जख्म का फोटोग्राफ उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया। उन्होंने आवेदक के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन कर विपरीत तरफ से ठेला लाये जाने और उनके द्वारा रोके जाने पर धक्का–मुक्की करते हुए तराजु के बटखरा चलाकर उनके सर पर प्रहार कर दिये जाने जिस से उन्हें चोट लगने की बात कही है। यह भी कहा गया है

कि आवेदन के भागने के क्रम में ठेला पलट गया। नगर थाना से आयी गशती दल द्वारा आवेदक को नगर थाना ले जाया गया। और इसके बाद ईलाज कराया गया। प्राथमिकी दर्ज

करने में विलम्ब के संबंध में सिपाही प्रभात रंजन के द्वारा यह बताया गया कि घायल होने के उपरांत ये सदर अस्पताल में ईलाज के लिए गये थे तथा चक्कर आने के कारण पुलिस केन्द्र चले गये थे तथा राहत होने पर दूसरे दिन थाना में आवेदन दिये थे। वायरल विडियो के संबंध में उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

जाँच प्रतिवेदन से यह भी प्रतीत होता है कि **Investigation Division** ने विडियो का अवलोकन कर यह पाया गया कि सिपाही प्रभात रंजन आवेदक को मारपीट की जा रही है। आवेदक के पिता बिखड़ी हुई सब्जियाँ समेट रहे हैं तथा परिवादी हाजत में बंद अवस्था में बता रहे हैं कि सिपाही प्रभात रंजन की खुद की लाठी के मुर जाने के कारण उन्हें ही चोट लगी है।

अपने निष्कर्ष में **Investigation Division** ने यह कहा है कि आवेदक विपरीत तरफ से ठेला लेकर आने के समय में यातायात सिपाही प्रभात रंजन के है जिस क्रम में सिपाही प्रभात रंजन द्वारा आवेदक के साथ मारपीट की गई और उसी क्रम में सिपाही प्रभात रंजन जख्मी हुए। प्रभात रंजन को आवेदन के आधार पर नगर थाना कांड संख्या 465/22 दर्ज किया जा चुका है और आरोप पत्र भी समर्पित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के स्तर से निर्णय अपेक्षित है। अपने निष्कर्ष में **Investigation Division** ने यह कहा है कि सिपाही प्रभात रंजन द्वारा रुपया लेकर छोड़ने में आरोप के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किन्तु परिवादी उनके पिता के बयान एवं विडियों फुटेज से घटना के उपरांत आवेदक को हाजत में बंद होने की पुष्टि होती है। थाना दैनिकी में आवेदन पत्र में अंकित घटना अथवा परिवादी को हाजत में बंर करने का कोई प्रविष्टि नहीं है जो स्पष्ट रूप से तत्कालीन थाना अध्यक्ष, नगर थाना द्वारा बरती गई घोर लापरवाही का द्योतक है।

जांच प्रतिवेदन में **Investigation Division** के द्वारा यह भी कहा है कि अगर परिवादी के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था तो सिपाही प्रभात रंजन के द्वारा वरीय पदाधिकारी को सूचित करते समय विधि–सम्मत कार्रवाई की जानी थी लेकिन इसके विपरीत उक्त सिपाही द्वारा सार्वजनिक स्थल पर आवेदक के साथ मारपीट की गई जिसके लिए सिपाही प्रभात रंजन दोषी प्रतीत होते है। तथा साथ ही तत्कालीन थाना अध्यक्ष, नगर

थाना द्वारा उपरोक्त बरती गई लापरवाही के लिए यदि मान्य हो तो अनुशासनिक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया जा सकता है।

Investigation Division के उपरोक्त जांच प्रतिवेदन के अवलोकन ये यह स्पष्ट है कि सिपाही प्रभात रंजन के द्वारा आवेदक को मारपीट की गई तथा साथ ही उसे हाजत में बंद कर दिया गया। इस बात की पुष्टि आवेदक के पिता जो सी.सी.टी.वी फुटेज में भी घटना स्थल पर उपस्थित दिखते है के द्वारा भी अपने बयान में समर्थन किया गया है। सी0सी0टी0वी फुटेज भी आवेदक के आरोप का अंशतः समर्थन करते हैं।

अगर सिपाही प्रभात रंजन तथा पुलिस के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह मान भी लिया जाय कि ठेला गलत तरफ से आ रहा था तो उसके लिए सिपाही प्रभात रंजन को विधि–सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए थी की न की आवेदक के साथ मारपीट करते हुए और उसके ठेला पलट दिये जाने की कार्रवाई करना उपरोक्त तथ्यों से **Investigation Division** के द्वारा दिये गये निष्कर्ष से असहमत होने का कोई भी साक्ष्य उपस्थित नहीं है।

यह पुलिस ज्यादती एवम् मनमानेपन का एक मामला प्रतीत होता है और आज के समय में जब पुलिस द्वारा यह नारा दिया जा रहा है कि पुलिस आपकी मदद के लिए है ऐसे समय पर पुलिस द्वारा उपरोक्त कार्रवाई को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में **Investigation Division** के अनुशंसा जिसके द्वारा तत्कालीन सिपाही 49 प्रभात रंजन एवं तत्कालीन थाना अध्यक्ष नगर थाना के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। इस से सहमत होते हुए आदेश की प्रति पुलिस महानिदेशक बिहार पटना को भेजते हुए तत्कालीन थाना अध्यक्ष नगर थाना एवम् सिपाही 49 प्रभात रंजन के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा के साथ इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति अपर मुख्य सचिव गृह एवम् पुलिस महानिर्देशक बिहार पटना को सूचनार्थ एवम् कार्रवाई हेतु भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson